राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : लेखा/बैठक/09/ 9023 से 9120 दिनांक : 12.1.10

बैठक की सूचना

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 174 दिनांक 08/01/2010 द्वारा जोन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों की आगामी बैठक दिनांक 18/01/2010 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित किये जाने बाबत सूचित किया गया था। प्रशासनिक कारणों से उक्त बैठक दिनांक 18/01/2010 को आयोजित नहीं की जाकर अब दिनांक 19/02/2010 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे निदेशालय में आयोजित की जायेगी। समस्त सम्बन्धित अधिकारी निर्धारित तिथी एवं दिनांक को मय समस्त वांछित सूचना बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

जोन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी निम्नांकित अनुसार सूचना विशेष वाहक के द्वारा दिनांक 19/01/2010 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

1. **उनके स्वयं एवं जिले के अन्य कार्यालयों से सम्बन्धित माह दिसम्बर 2009 का व्यय विवरण पत्र।**
2. **आयोजना मद (प्लान) अन्तर्गत वर्ष 2009—10 के संशोधित प्रस्ताव एवं वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु प्रस्तावों सम्बन्धी सूचना।**
3. **उनके स्वयं एवं जिले के अन्य कार्यालयों से सम्बन्धित महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के समस्त बकाया पैराज की अनुपालना। जिन बकाया अनुच्छेदों में राशि रुपये 50,000/— या अधिक की रिकवरी सम्बन्धी प्रकरण बकाया है उनमें तुरन्त रिकवरी की कार्यवाही की जाकर पूर्ण अनुपालना अलग से भिजवाई जावे।**
4. **उनके स्वयं एवं जिले के अन्य कार्यालयों के नाकारा वाहनों एवं अनुपयोगी/अप्रचलित स्टोर्स के निस्तारण की प्रगति।**

उपरोक्तानुसार पूर्ण सूचना निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने को राजकार्य के प्रति उदासीनता मानते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद में बजट के अन्तर्गत उपलब्ध राशियों का नियमानुसार उपयोग पूर्णरूपेण वित्तीय वर्ष 2009—10 में कर लिया जाये।

वित्तीय सलाहकार.

क्रमांक :लेखा/बैठक/09/ 9023 से 9120 दिनांक : 12.1.10

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आर.एच.एस.डी.पी./मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आई.ई.सी. मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. डॉ. एस. के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थिति वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ।
11. सहायक लेखाधिकारी, बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार, मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सर्वर, कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब—साइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. केयर टेकर, (कृपया दिनांक 19/02/2010 को प्रातः 11.00 बजे से हॉल से आरक्षित करें।)
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

D:MONTHLY MEETING/MEETING NOTICE